



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, झोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-17/2019-685

दिनांक : 18/7/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल/ देवघर वन प्रमंडल/ चतरा
उत्तरी वन प्रमंडल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल/ कोडरमा वन प्रमंडल/
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/ गिरिडीह
पूर्वी वन प्रमंडल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल/ रामगढ़ वन प्रमंडल/
बोकारो वन प्रमंडल/ धनबाद वन प्रमंडल/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल,
कोडरमा

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर
वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक
योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण, अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, शीघ्र
बढ़ने वाले पौधा का रोपण एवं नदियों के उद्गम स्थल पर वृक्षारोपण का
अग्रिम कार्य हेतु कुल **रु0 896.318 लाख (आठ करोड़ छियान्चे लाख
एकतीस हजार आठ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन
(Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-28/2019-08/स्वी0 व0प0 दिनांक
18.06.2019 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-
28/2019-62/आ0 व0प0 दिनांक 28.06.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के
लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण
योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0
896.318 लाख (आठ करोड़ छियान्चे लाख एकतीस हजार आठ सौ रुपये)** मात्र का
उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	645.399
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	250.919
कुल :-		896.318

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) से (घ)** पर
वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने
कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति
प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ग)**,
स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर
द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601789580103, 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगा तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-17/2019-685 दिनांक-18/7/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ हजारीबाग/ बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/ गिरिडीह/ बोकारो/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-17/2019-685 दिनांक-18/7/19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/ देवघर/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ गिरिडीह/ रामगढ़/ बोकारो/ धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			42184.38	15921.74	58106.12
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
2	देवघर वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
3	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	150.00	63.277	23.882	87.159
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
6	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	150.00	63.277	23.882	87.159
7	सा०वा० प्रमण्डल, कोडरमा	100.00	42.184	15.922	58.106
योग :-		600.00	253.106	95.530	348.636

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			36385.54	14332.74	50718.28
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	100.00	36.386	14.333	50.719
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	150.00	54.578	21.499	76.077
3	कोडरमा वन प्रमण्डल	50.00	18.193	7.166	25.359
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50.00	18.193	7.166	25.359
5	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50.00	18.193	7.166	25.359
6	बोकारो वन प्रमण्डल	100.00	36.385	14.333	50.718
7	सा०वा० प्रमण्डल, कोडरमा	100.00	36.385	14.333	50.718
योग :-		600.00	218.313	85.996	304.309

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			41527.03	17932.74	59459.77
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	40.00	16.611	7.173	23.784
2	देवघर वन प्रमण्डल	50.00	20.764	8.966	29.730
3	कोडरमा वन प्रमण्डल	25.00	10.382	4.483	14.865
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	50.00	20.763	8.966	29.729
योग :-		165.00	68.520	29.588	98.108

अनुलग्नक-1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदियों के उदगम स्थल पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			42184.38	15921.74	58106.12
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	42.184	15.922	58.106
2	बोकारो वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
4	धनबाद वन प्रमण्डल	50.00	21.092	7.961	29.053
योग :-		250.00	105.460	39.805	145.265
सकल योग :-		1615.00	645.399	250.919	896.318

प्रधान-मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	वित्तीय वर्ष 2019-20 अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	749.49	0.00	749.49	
2	झाड़ी सफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	सामान्य झाड़ी	हे०	7.00	1748.81	0.00	1748.81	
3	घेरान कार्य -			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन प्रति हे०	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हे० अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	36.50	9118.80	0.00	9118.80	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	4122.20	0.00	4122.20	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर द्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	3989.00	3989.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कटूर ट्रेंचिंग- 90, कटूर ट्रेंच साईज 5 मी० X 0.30 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हे०	55.00	13740.65	0.00	13740.65	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य			9706.48	0.00	9706.48	
	योग-		130.00	42184.38	15921.74	58106.12	


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. X 2 मी. अथवा 3 मी. X 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2019-20 अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	749.49	0.00	749.49	
2.1	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1748.81		1748.81	
2.2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	10	2498.30		2498.30	
3	घेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 वेन पति हे०	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हे० अनुमानिक 6 वेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी० X 0.3 मी.) 0.027 क्यू०मी० 1000 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	22	5496.26		5496.26	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंदूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	45	11242.35		11242.35	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	10	2498.30		2498.30	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर द्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	2400.00	2400.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे०		9154.07	0.00	9154.07	
योग :-			109.00	36385.54	14332.74	50718.28	


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे०)

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० X 2 मी०

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2019-20 अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 249.83						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	749.49	0.00	749.49	
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1748.81		1748.81	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चैन पति हे०	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हे० अनुमानिक 6 चैन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 2500 पीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	55	13740.65	0.00	13740.65	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	10	2498.30		2498.30	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हे०	25	6245.75		6245.75	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर ट्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	6000.00	6000.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे०		13546.07	0.00	13546.07	
योग :-			112.00	41527.03	17932.74	59459.77	


 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	स्थल का नाम	थाना एवं थाना संख्या	प्लॉट नं०	कुल रकबा (हे०)
i	ii	ii	iv	v	vi	vii	vii
1	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	गोड्डा वन प्रक्षेत्र	गोड्डा	डुलू भवानी	गोड्डा-575	30, 37, 40, 44, 50, 55, 550, 555	20
			सुन्दरपहाड़ी	कैराबारी	सुन्दरपहाड़ी-06	4, 257, 254	30
योग :-							
2	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर	देवघर	मंझियाना	देवघर-104	1, 2, 3, 60, 95	30
		भू-संरक्षण प्रक्षेत्र, देवघर	सारवां	हेठ सरपत्ता उपर सरपत्ता	सारवां 43, 41	99, 19, 2	20
योग :-							
3	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	हंटरगंज वनरोपण	हंटरगंज	पण्डरी	हंटरगंज-103	412, 419, 420, 496p	50
		चतरा वनरोपण	कान्हाचट्टी	आरुगड़ा	चतरा-52	112, 217p	50
		हंटरगंज	हंटरगंज	भागवार उर्फ रवैया	हंटरगंज-26	259, 274] 283	50
योग :-							
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	दारु	सदर	डंडईखुर्द	हजारीबाग-184	1103, 1104,	25
		बगोदर वनरोपण	बगोदर	कुसमाडीह	बगोदर-75	172p, 412p, 413, 179p	25
योग :-							
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	हजारीबाग वनरोपण प्रक्षेत्र	बरही	केदारुत	बरही-5	370p, 371p, 373p, 374	50
योग :-							
6	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	गावाँ		भेलवाघाटी	देवरी (भेलवाघाटी)-60	411, 424, 476, 81, 5, 2, 4, 806, 901, 414, 608, 768, 848, 859, 880, 899	60
		पारसनाथ	पीरटांड	दुधीमांटी	पीरटांड-05		25
		खुरचुट्टा	बेंगाबाद	डुमरीपहाड़ी	बेंगाबाद-110		35
		डुमरी	डुमरी	अतकी	डुमरी-68		30
योग :-							
							150

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	स्थल का नाम	थाना एवं थाना संख्या	प्लॉट नं०	कुल रकवा (हे०)
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	चौपारण कोडरमा डोमचांच	इटखोरी चौपारण सतगावा	सरधवाटांड डेबो माथाखैरा	चौपारण-296 चौपारण-315 सतगावा-32	65, 93 2757, 2910p, 2913 13p, 17p	30 30 40
योग :-							100
सकल योग :-							600

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	स्थल का नाम	थाना एवं थाना संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा (हे०)
i	ii	ii	iv	v	vi	vii	vii
1	गोडा वन प्रमंडल, गोडा	सुन्दर पहाडी वन प्रक्षेत्र बोआरीजोर वन प्रक्षेत्र	सुन्दरपहाडी बोआरीजोर	सुसनी सुरला पहाड़	सुन्दरपहाडी-22 बोआरीजोर-64	164, 1390 217, 228	50 50
योग :-							
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	चौपाराण वनरोपण सिमरिया वनरोपण	गिदौर सिमरिया	गोरियाटॉड सोहरकेवटा सोहरकला	गिदौर-02 सिमरिया-142 सिमरिया-144	26 403, 404, 405, 483, 484, 485 806, 807, 808, 809	50 60 40
योग :-							
3	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	गझण्डी सतगावौं	चंदवारा सतगावौं	बरहोरिया करमो	कोडरमा-241 सतगावौं-103	141 to 150, 167 to 174, 177, 179 7P, 8P, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18	30 20
योग :-							
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	बगोदर वनरोपण गोमियां	सरिया गोमियां	चौधरीडीह जरीया	बगोदर-42 गोमियां-02	1027P, 1023 1, 154	30 20
योग :-							
5	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	माण्डू	माण्डू	माण्डू	माण्डू-114		50
योग :-							
6	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	बोकारो गोमिया	नावाडीह गोमिया	चपरी कण्डेर	नावाडीह-73 गोमिया-45		50 50
योग :-							
7	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	मरकच्चो डोमचांच कोडरमा	मरकच्चो कोडरमा कोडरमा	परसाबाद अम्बाबाद कलीडीह	मरकच्चो-97 सतगावौं-143 कोडरमा-35	295, 296, 299, 301 1060, 749, 559 1, 56, 58, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83	40 30 30
योग :-							
सकल योग							100 600

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	स्थल का नाम	थाना एवं थाना संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (हे०)	
1	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	गोड्डा वन प्रक्षेत्र	गोड्डा	अमरपुर	गोड्डा-534	3601, 3643, 3659, 3759, 3724,	30	
			सुन्दरपहाड़ी	पहाड़पुर	सुन्दरपहाड़ी-08	1360	10	
योग								40
2	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवघर	सारवां	हरदकोल	सारवां-231	15p, 199p	30	
			सारठ	साढ़ामारनी	सारठ-35	1, 177, 208	20	
योग								50
3	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	डोमचांच	मरकच्चो	बेला उर्फ लबनियाँ	मरकच्चो-112	1389, 1390, 1393P, 1391P	25	
							25	
3	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	बरही	बरही	पहाड़पुर	बरही-112	6P, 7, 8, 59, 60P	50	
							50	
योग								

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जतियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत नदियों के उद्गम स्थल पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड	नदी का नाम	नदी का उद्गम स्थल	थाना एवं थाना संख्या	कुल रकवा (हे०)
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	बेंगाबाद वनरोपण	बेंगाबाद	दमगड़िया नदी	महेशपुर उर्फ तिलैबोनी	अहिल्यापुर-491	30
					भलुआ	अहिल्यापुर-490	
		जमुआ वनरोपण	देवरी	उसरी नदी	तरडीहा	जमुआ-476	70
					नयासाखो	जमुआ-495	
					नावाबांध	जमुआ-493	
योग :-							100
2	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	पेटरवार	कसमार	खांजो नदी	डुमरकुंदर	कसमार-129	50
							50
योग :-							
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	माण्ड	माण्डू	चुटही नाला	करगी	माण्डू-68	50
							50
योग :-							50
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	तोपचांची	तोपचांची	नासियो नाला (कतरी नदी)	बेलमी	तोपचांची-41	50
							50
योग :-							
सकल योग :-							250

प्रधान-मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/685

दिनांक - 18-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43236	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	7,408,900.00 रुपये चौहत्तर लाख आठ हजार नौ सौ
2	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43237	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	4,185,600.00 रुपये इकतालीस लाख पचयासी हजार सौ
3	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43238	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O., NORTH DIV. CHATRA	6,327,700.00 रुपये तीरसठ लाख सत्ताइस हजार सात सौ

17,922,200.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड उन्नासी लाख बाइस हजार दो सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवर्तित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	43239	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	5,457,800.00 रुपये चौपन लाख सत्तावन हजार आठ सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	43241	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	2,857,500.00 रुपये अठाइस लाख सत्तावन हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	43244	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	3,928,500.00 रुपये उनचासीस लाख अठाइस हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

12,243,800.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड़ एक लाख छह हजार

30,166,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
7	S 19 240601789580103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43245	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	4,185,500.00 रुपये इकतालीस लाख पचयासी हजार पैंच सौ
8	S 19 240601789580103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43247	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	6,327,700.00 रुपये तीरसठ लाख सत्ताइस हजार सात सौ
9	S 19 240601789580103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43248	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	4,218,400.00 रुपये बयालीस लाख अठारह हजार चार सौ

योग:	14,731,600.00
क्रमिक योग:	रुपये चार करोड अडतालीस लाख सित्तानवे हजार छः सौ 44,897,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	43249	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	3,928,500.00 रुपये उनचासीस लाख अठाइस हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	43250	BKRFOR001 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, BOKARO	5,747,700.00 रुपये सत्तावन लाख सैतालीस हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	43252	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,109,200.00 रुपये इक्कीस लाख नौ हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

11,785,400.00

क्रमिक योग:

रुपये पाँच करोड़ छह लाख तिरयासी हजार

56,683,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43253	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	7,856,900.00 रुपये अट्ठहत्तर लाख छप्पन हजार नौ सौ
14	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43254	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	2,946,700.00 रुपये उन्तीस लाख छयालीस हजार सात सौ
15	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43256	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,692,700.00 रुपये सोलह लाख बयानवे हजार सात सौ

12,496,300.00

योग:

69,179,300.00

क्रमिक योग:

रुपये छः करोड़ इनकानवे लाख उन्नासी हजार तीन सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCOF, DEV JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43257	CTRFOR002 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	2,388,200.00 रुपये तेइस लाख अठ्यासी हजार दो सौ
17	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43258	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	2,149,900.00 रुपये इक्कीस लाख उनचास हजार नी सौ
18	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43259	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	1,164,900.00 रुपये ग्यारह लाख चौसठ हजार नी सौ

5,703,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये सात करोड अड़तालीस लाख बयासी हजार तीन सौ

74,882,300.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
19	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43260	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	1,512,700.00 रुपये पंद्रह लाख बारह हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
20	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43261	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	1,692,700.00 रुपये सोलह लाख बयानवे हजार सात सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
21	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43262	GRDFOR001 RAJKUMAR SAH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	2,388,200.00 रुपये तेइस लाख अठ्यासी हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

5,593,600.00

क्रमिक योग:

रुपये आठ करोड चार लाख पचहत्तर हजार नौ सौ

80,475,900.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
22	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43263	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,592,200.00 रुपये पंद्रह लाख बयानवे हजार दो सौ
23	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43264	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	1,512,700.00 रुपये पंद्रह लाख बारह हजार सात सौ
24	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	43265	BKRFOR001 RAVINDRA NATH MISHRA D F O, BOKARO	2,229,400.00 रुपये बाइस लाख उन्तीस हजार चार सौ

योग:	5,334,300.00
क्रमिक योग:	रुपये आठ करोड़ अठावन लाख दस हजार दो सौ 85,810,200.00

(SBI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF, DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601789580323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43266	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	796,100.00 रुपये सात लाख छयानवे हजार एक सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
26	S 19 240601789580323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	43267	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	3,025,500.00 रुपये तीस लाख पच्चीस हजार पाँच सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:

3,821,600.00

क्रमिक योग:

रुपये आठ करोड छयानवे लाख इकतीस हजार आठ सौ

89,631,800.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF DEV JHARKHAND RANCHI